International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 3 Ser. 1 || March 2019 || PP 65-68

अन्त्योदय अन्न योजना की अवधारणा एवं खाद्य सुरक्षा हेतु सरकारी उपाय

डॉ0 मधुकर श्याम शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज
शाहजहॉपुर

डॉ0 राम शंकर पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज शाहजहॉपुर

स्वतंत्रता से पूर्व हमारा देष बेकारी, भुखमरी और षिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ाथा। यहाँ से उत्पन्न अनाज व अन्य बहुमूल्य संमाग्री अंग्रेज अपने देष मेंले जाते थें। काफी संघर्श के बाद देष स्वतंत्र हुआ। और इस में सब चीजें हमें विरासत में मिला। नई सरकार गठित हुई अनेक पंचवर्शीय योजनाओं में बहुत सारी योजनाएँ चलायी गई। इल योजनाओं के द्वारा भारत के निवासियों की स्थिति बदली तो लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए अनेक योजनाएं चलायी गयी। जिससे पात्र लोगों को सुरक्षा मिल रही हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना में भारत सरकार की भूमिकाः–

देष की नौवीं पंचवर्शीय योजना (1997–2002) के मसौदे को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 9 जनवरी 1999 को अपनी मन्जूरी दे दी। इस पंचवर्शीय योजना का मसौदा बाहरवीं लोकसभा चुनाव के ही समय योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मधुदण्डवतें ने एक मार्च 1998 को जारी किया था।

यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती में प्रारम्भ हुई हैं। पूर्व की भाँति अन्य पंचवर्शीय योजनाओं की तरह इस योजना के दृश्टिकोण के परिपत्र में भारत से निर्धनता, भुखमरी, आर्थिक विशमता को जड़ से उखड़ फेकने का संकल्प लिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिकेन्द्रीत तथा गरीब आबादी के अत्यन्त करीब वर्श तक पहुँचने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा राजस्थान में लागू किया था जिसे बाद में पूरे देष में लागू किया गया।

इसके अन्तर्गत 2 रुपये किलो गेहूँ, तथा 3 रुपये किलो चावल प्रति परिवार 35 किलो तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तथा इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य और संघ राज्य सरकार को दे दी गई है।

अन्त्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल परिवारों की पहचान करके एक करोड़ परिवार के लिए षुरू की गई थीं इस योजना के तहत राषि को तीन, चार 2003–04,तथा 2004–05, और 2005–06 के दौरान हर समय पचास लाख अतिरिक्त परिवारों के लिए बढ़ाया गया इस प्रकार अन्त्योदय के अन्तर्गत कुल 2.50 करोड़ परिवारों तक लाभ पहुंचाया गया।

भारत सरकार से अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सभी विस्तार सहित कुल 25,01,000 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्यन्त गरीब परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त हैं, तदनुसार गरीबों में अति गरीब के सिद्वान्त पर प्राप्त लक्ष्य के अनुसार 25,01,000 परिवारों का चयन किया गया हैं, इस योजना में भारत सरकार से 25,01,000 परिवारों के लिए आबंटन प्राप्त हो रहा हैं। वर्तमान में चयनित 25,01,000 प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा हैं, इसमें कुल 6.52 करोड़ परिवार षामिल हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना की परिभाषा

अन्त्योदय अन्न योजना में सबसे गरीब व्यक्तियों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूँ, तथा 3 रुपये प्रति किलो की दर से 21 किलो चावल कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना के उद्देष्य

भारत एक कृशि प्रधान देष हैं यह कि अधिकांष जनसंख्या कृशि पर आधारित हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ के निवासियों को कृशि से न तो रोजगार प्राप्त होता है, और न ही उन्हें भरपेट भोजन मिलता हैं। भीतर की कुल जनसंख्या में से 37.02 प्रतिषत लोग गरीब हैं। जिनमें से 3203.7 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन वितीत करते हैं। आंकड़ों के अनुसार एक वर्श में लगभग – लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, भारतीय सरकार ने इन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए अनेक रोजगार, आवास, के लिए योजना चलायी जिनमें खाद्य पदार्थों जैसे– गेहूँ, चावल, दाल, नमक, चीनी आदि के लिए अन्त्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में षुरू की गई जिनके उद्देष्य निम्नलिखित हैं–

1. समाज में रहने वाले लोग जो केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करते हैं।
2. गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त आहार प्रदान करना।
3. गरीब लोगों का षोशण रोकना।
4. इस योजना का प्रमुख उद्देष्य की कोई गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति भूखा न सोये।

5. गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की मदद करना।

अन्त्योदय अन्न योंजना के लाभ

भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये गये जिनसें गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत करने वालों को अनेक लाभ हैं, जो निम्न हैं–

1. गरीबी रेखा से नीचे निवासियों को कम लागत में पर्याप्त अन्न मिल रहा हैं।
2. सरकारी प्रयासों के द्वारा इस योजना में लिप्त भश्टाचार को कम किया जा रहा हैं।
3. लोगों के मन से खाद्य पदार्थों के लिए विष्वास जगा हैं।
4. इस योजना में अन्न से बचे हुए पैसों को वह अपनी रोजमर्रा की आवष्यकताओं को पूरा कर रहा हैं।
5. भरपेट भोजन मिलने से व्यक्तियों को स्वस्थ्य सम्बन्धी सामना नहीं करना पड़ता।

ग्रामोदय अन्त्योदय अन्न योजना के लिए आवष्यक दस्तावेज

1. पहचानपत्र
2. निवास प्रमाणपत्र
3. बी.पी.एल राषन कार्ड
4. घर कर पावती
5. आय प्रमाणपत्र
6. बैंक पासबुक
7. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो।

अगर हम अपने पास ऐसे किसी परिवार को जानते हो हमें ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए। सरकार किसी भी योजना का निर्माण करती हैं तो हमारा फर्ज बनता की हमें उस योजना की जानकारी जरुरतमन्द तक पहुंचानी चाहिए। यदि योजना का संबंध हमसे नहीं है तो हमें जिनके लिए योजना बनाई गई हैं उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए।

अन्त्योदय अन्य योजना की आवष्यक पात्रता

इस योजना के लिए सरकार द्वारा षहर और ग्रामीण इलाकों के कुछ मानदण्ड तैयार किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

- जिन परिवारों की आय सालाना 15 हजार से कम हो
- 60 साल के ऊपर के पेंषन धारक वृद्ध
- छोटे और भागीदारीक खेती करने वाले किसान
- मजदूरी करने वाले किसान
- षारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
- बेसहारा विधवाएं

शहरी क्षेत्रों के लिए

- जिन परिवारों की आय सालाना 15 हजार से कम हो
- झोपड़ियों में रहने वाले लोग
- दैनिक मजदूरी करने वाले जैसे रिक्षा खींचने वाले मजदूर
- बोज उठाने का काम करने वाले मजदूर जैसे की कुली आदि.....
- घरेलू नौकर–चाकर आदि भी
- भवन–निर्माण श्रमिक आदि.....
- विकलांग व्यक्तियों को
- विधवाओं की अध्यक्षता में जो परिवार हो उसे
- 60 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को जिनके निर्वाह का कोई आष्वासन साधन नहीं है
- संपेरा, मोंची आदि

अन्त्योदय अन्न योजना के लिए दिषा निर्देष

- अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बी.पी.एल और ए.पी.एल परिवारों में से ऐसे परिवारों का चयन करना जिनकी सालाना आय 15 हजार से कम हों।
- यह जिम्मेदारी सरकार द्वारा देष के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य सरकार को दी गई हैं।
- इस योजना का सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा उसकी देखरेख में किया जाएगा।
- देष के राज्य और संघ राज्य को अपने राज्य में से ऐसे परिवारों का चयन कर उसकी सूची केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

- ऐसे परिवारों को भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के तहत एक अलग राषन कार्ड दिया जाएगा जो उनकी पहचान बनेगा।
- इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत देष में ऐसे परिवारों को सस्ते दाम में अनाज मुहैया करवाना, जिससे ऐसे परिवार को भूख का सामना करने में मदद मिलें।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जाएगा।
- जिसमें सरकार ने गेहूँ 2 रुपये प्रतिकिलो और चावल 3 रुपये प्रतिकिलो के दाम से मिलेगा।

अन्त्योदय अन्न योजना की विषेषताएँ

1. गरीबों को अनाज देना।
2. विधवाओं के परिवार या बीमार व्यक्ति/विकलांग 60 वर्श या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह अथवा सामाजिक सहायता के लिए कोई सुनिष्चित साधन न हो।
3. परिवारों के सदस्यों के अनुसार गेहूँ व चावल उपलब्ध कराना।
4. इस योजना के तहत 3 रुपये और 2 रुपये प्रति किलो अनाज दिया जाऐगा।
5. हर परिवार को ज्यादा से ज्यादा हर महीने 35 किलो चावल/गेंहूँ उपलब्ध कराना।
6. ये योजना केवल बी.पी.एल के लिए हैं।
7. इस योजना का लाभ उठाने के लिए बायोमैट्रिक से अनाज दिया जाऐगा।

अन्त्योदय अन्न योजना में आने वाली बाधाएँ

भारत जैसे विषाल देष में व्यक्तियों के पास अपना पेट भरने के लिए प्रर्याप्त साधन नहीं हैं। सरकार के द्वारा यह योजना निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए चलायी गई हैं। इस योजना का लागू करने का उद्देष्य था कि सभी निर्धनों को भूखा न सोना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ बाधाएँ हैं। जो निम्न हैः–

1. भ्रश्टाचार की समस्या।
2. निर्धन लोगों को कानून का ज्ञान न होना।
3. समय से राषन न मिलना।
4. कोटेदार के द्वारा निर्धारित राषन न देना।
5. कोटेदार के द्वारा निर्धारित राषि से अधिक पैसा लेना।
6. राषन समय से न मिल पाना।
7. सरकारी कर्मचारियों के द्वारा षिकायतें निस्तारण न करना।
8. ग्राम प्रधान एवं लेखपाल तथा प्रति निरक्षकों का सहयोग न मिलना।
9. अपात्र लोगों को पात्रता सूची में षामिल करना।
10. राषन का वजन प्रर्याप्त न देना।

खाद्य सुरक्षा हेतु सरकारी उपाय

भारत सरकार ने अल्पपोशण को रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम चलाये हैं। जो निम्न हैः–

1. प्रायोगिक पोशण प्रोजेक्टः– यह कार्यक्रम 1963 में चालू किया गया और इसका उद्देष्य गर्भवती एवं पालक माताओं को सुरक्षित खाद्य के रूप में सब्जियाँ और फल उपलब्ध कराने के उद्देष्य से इनके उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देना था।
2. विशेष पोशण प्रोग्रामः– यह कार्यक्रम 1970 में षुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देष्य गर्भवती एवं पालक माताओं को 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना और बच्चों को 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराना था।
3. समन्वित बाल विकास योजनाः– यह कार्यक्रम 1975 में चालू किया गया और दूसरा उद्देष्य बच्चों और गर्भवती अथवा, पालक माताओं को खाद्य–अनुपूरण उपलब्ध कराना था।
4. बालबाड़ी पोशाहार कार्यक्रमः– बालवाड़ी पोशाहार कार्यक्रम 3–5 वर्श की आयु के बच्चों का पूरक पोशाहार, मनोरंजन, सुविधाएँ और अनौपचारिक स्कूल–पूर्व षिक्षा देने के लिए वर्श 1970–71 में प्रारम्भ किया गया था। देष के ग्रामीण/जनजातीय और षहरी गंदी बस्तियों में 5.053 बालवाडिंयाँ हैं। इससे 2.25 लाख बच्चों को लाभ पहुँच रहा हैं, यह कार्यक्रम राश्ट्रीय स्तर के पाँच स्वंयसेवी सकांय द्वारा लागू किया जा रहा हैं जिन्हें सरकार वित्तीय सहायता देती हैं।
5. स्कूली बच्चों के मध्य भोजन कार्यक्रमः– यह योजना 15 अगस्त, 1993 को लागू की गयी थीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्राथामिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन निःषुल्क उपलब्ध कराया जाता हैं। जब तक इन स्कूलों भोजन पकाने की व्यवस्था नहीं हो जाती हैं। तब तक प्रत्येक पात्र विधार्थी को कम–से–कम 80 प्रतिषत उपस्थिति विद्यालयों में दर्ज कराना अनिवार्य हैं।
6. राश्ट्रीय पोशण नीतिः– वर्श 1993 में घोशित राश्ट्रीय पोशण नीति के अन्तर्गत सन् 2000 तक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का निष्चय किया गया था।

(पद्ध स्कूल पूर्व के बच्चों में अत्यधिक कुपोशण के आपात के स्तर को 50 प्रतिषत तक घटाना।

;पपद्ध चिरकालीन अल्प पोशण को घटाना और जन्म पर कम वनज वाले बच्चों को आपात को कम करके 10 प्रतिषत तक लाना।
;पपपद्ध सूक्ष्म पोशकों के अभाव को समाप्त करना।
इसके अर्न्तगतः–
(क) विटमिन 'ए' के अभाव के कारण होने वाले अन्धेपन को समाप्त करना।
(ख) लौह के अभाव के कारण गर्भवती महिलाओं में रक्तक्षीणता को कम करके 25 प्रतिषत तक लाना।
(ग) आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग को सर्वव्यापक बनाना।
;पअ वृद्धावस्था पोशण पर अधिक बल देना।
;अद्ध खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाकर 2,500 लाख टन करना।
;अपद्ध गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा परिवारिक खाद्य सुरक्षा को उन्नत करना और उचित एवं स्वस्थ जीवन–षैली को प्रोन्नत करना।

संदर्भ ग्रथ सूची

1. पुरी बी.के मिश्रा– भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालय पब्लिसिनग
2. यादव रामजी– भारत में ग्रामीण विकास अर्जन पब्लिसिन हाउस 4831/5 अन्सारी रोड दरियागंज नई दिल्ली
3. मिश्र जयप्रकाष– कृशि अर्थषास्त्र सहित्य भवन पब्लिकेषन आगरा
4. रंजीत नवनीत (2011) कुरुक्षेत्र, गॉव में षहरों जैसी सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली
5. वेणु एम. के (10 जनवरी 2015) अमर उजाला अंक 32 बरेली
6. संजय तिवारी (2006) –बाजार सर्वद्धन नीतियां और भारतीय अर्थव्यवस्था ओमेगा पब्लिकेषन अन्सारी रोड दरियागंज नई दिल्ली
7. सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन एस.डी.जी (2030) के तहत 17 लक्ष्य (2018)
8. भारत (2012)– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
9. योजना मासिक पत्रिका
10. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका